संख्या-6-1343/38-6-14-12एसजीएसवाई/2008

प्रेषक,

अरूण सिंघल,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, मैनपुरी, ललितपुर, शामली, हापुड, सम्भ्ल, महराजगंज, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, कासगंज, पीलीभीत, मेरठ एवं एटा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-16 दिसम्बर, 2014

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) की स्थापना हेतु जनपद से संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुर्नगठित करते हुए उसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) का संचालन प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार युक्त बनाये जाने हेतु देश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व भवन निर्माण संबंधित जनपद के लीड बैंक के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रति संस्थान रू0 1.00 करोड की धनराशि भारत सरकार द्वारा संबंधित लीड बैंक को उपलब्ध

http://shasanadesh.up.nic.in

करायी जाएगी। इन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व संबंधित जनपदों के लीड बैंक का होगा। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि राज्य सरकार द्वारा चयनित लीड बैंक को नि:शुल्क अथवा न्यूनतम लीज रेन्ट पर उपलब्ध करायी जानी है। लीज-डीड का निष्पादन संबंधित विभाग, जिसकी भूमि लीज पर ली जा रही है, द्वारा किया जाएगा।

2- भारत सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रथम चरण में प्रदेश के 18 जनपदों एवं द्वितीय चरण में 47 जनपदों में ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय से आदेश निर्गत करते हुए लीज-डीड/एम0ओ0यू0 का प्रारूप जारी किया जा चुका है।

3- प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना हेतु संबंधित लीड बैंक को भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता भारत सरकार को दी गयी है। तदनुसार आरसेटी की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपयुक्त भूमि को चिन्हित करते हुए संबंधित लीड बैंक की सहमति से संस्तुति सहित प्रस्ताव मांगे गये थे जो मिशन निदेशक, एस.आर.एल.एम. उ0प्र0, ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। तृतीय चरण में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 07 जनपदों में निम्नानुसार चिन्हित/ उपलब्ध भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जानी है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/प्र0वि0	लीड बैंक
1	मुरादाबाद	ग्राम-फाजलपुर, तहसील व जिला-मुरादाबाद गाटा संख्या-50मि0 रकबा 0.700 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	सिंडीकेट बैंक

http://shasanadesh.up.nic.in

2	गौतमबुद्धनगर	ग्राम-लुहारली, परगना व तहसील दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर भूखण्ड संख्या-57 रकबा 0.4048 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	सिंडीकेट बैंक
3	मैनपुरी	ग्राम-ओडण्य पडरिया व तहसील व जनपद मैनपुरी गाटा संख्या/रकबा 3009/0.405 हे0 3023/0.093 हे0 3025/0.582 हे0 3026/0.291 हे0 कुल 4 किता रकबा 1.371 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	बैंक आफ इंडिया
4	ललितपुर	ग्राम-हदबाहर, न0पा0-ललितपुर ग्राम सभा सिवनीखुर्द जनपद ललितपुर अराजी 822 रकबा 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
5	शामली	ग्राम-हीण्ड, परगना थाना भवन, तहसील व जनपद शामली में खतौनी 1420-1425 फसली खाता संख्या-00529 नवीन नरती गाटा सं0-916/2 रकबा 0.3650 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
6	हापुड	ग्राम-दादरी, परगना सरावां, तहसील दादरी, जिला-हापुड के खसरा संख्या 908 रकबा-0.1900 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा राजस्व विभाग	सिंडीकेट बैंक
7	सम्भल	विकास खण्ड गुन्नौर के परिसर स्थित रिक्त भूमि रकबा 3357 वर्ग मीटर	विकास खण्ड परिसर ग्राम्य विकास विभाग	सिंडीकेट बैंक

उपरोक्त कुल 07 जनपदों में चिन्हित भूमि पर आरसेटी की स्थापना हेतु चयनित लीड बैंक द्वारा दी गयी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जनपदों के जिलाधिकारों/मिशन निदेशक, एसआरएलएम, उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बैंक को भूमि उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

http://srisamadesh.up.nic.in

उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर से नियमानुसार हस्तान्तरण में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कतिपय जनपदों में पूर्व में प्रस्तावित/प्रेषित भूमि संबंधी प्रस्ताव में संशोधन करते हुए जनपद की अन्य भूमि परिवर्तन स्वरूप उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है तत्क्रम में निम्नानुसार संशोधित भूमि को नि:शुल्क/नामिनल लीज रेन्ट पर संशोधन/परिवर्तन स्वरूप उपलब्ध कराया जाना है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत भूमि का विवरण	परिवर्तन स्वरूप प्रस्तावित भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/प्र0वि0	लीड बैंक
1	2	3	4	5	6
1	महराजगंज	विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर के परिसर में 5197.50 वर्गमी0	ग्राम पुरैना खण्डी चौरा तप्पा मटकोपा परगना हवेली तहसील सदर अराजी सं0-410 रकबा 0.466 हे0 तथा अराजी सं0-450 रकबा 0.45 हे0 कुल 2 गाटा बन्जर कुल रकबा 0.511 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
2	गोण्डा	विकास खण्ड-मुजेहना में स्थित थाना-धानेपुर से सटा गाटा सं0-25, क्षे0-2.85 एकड	ग्राम सुभागपुर, तहसील सदर, गोण्डा भूमि गाटा सं0-456 मि0 रकबा-3. 909 हे0 भूमि में से 0. 405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
3	बहराईच	ग्राम पंचायत-सिसई हैदर, विकास खण्ड-तन्जवापुर के गाटा सं0-250, रकबा-0.522 हे0	ग्राम टेडवा बसन्तपुर विकास खण्ड तेजवापुर तहसील महसी, गाटा सं0-284 रकबा 0.405	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
4	बलरामपुर	ग्राम-सिसई, परगनाा	ग्राम सेखुईकलां पर0 व	भूमि प्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक

http://shasanadesh.up.nic.in

		व तहसील-बलरामपुर के भूखण्ड सं0-125, रकबा 0.405हे0।	तह0 बलरामपुर गाटा सं0 899 रकबा 0.454हे0।	समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	
5	अमरोहा	ग्राम गजस्थल के गाटा सं0-450/2. 671 हे0 भूमि जो बाग के खाते में दर्ज है, मे से 0.405हे0।	ग्राम सहसपुर अलीनगर तहसील व जिला अमरोहा गाटा सं0 62 रकबा 0.323हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	सिंडिकेट बैंक
6	कौशम्बी	ग्राम-जयन्तीपुर, पर0 व तह0-चायल में भूमि सं0-300मि0 क्षेत्रफल 0.399हे0।	ग्राम पाता परगना मंझनपुर तहसील मंडनपुर भूमि सं0 2010 मि0 रकबा 0.342हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
7	कासगंज	ग्राम-तरौरा पर0 बिलग्राम तह0 कासगंज, भूमि गाटा सं0-28/0.405हे0।	ग्राम जखा रूद्रपुराय परगना बिलग्राम तहसील व जिला कासगंज गाटा सं0 209 रकबा 0.400हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	केनरा बैंक
8	पीलीभीत	गॉव-आंडा माधौ, पर0 व तही0 पूरनपुर, गाटा सं0-747, क्षे0 0.405हे0।	ग्राम गौहनिया परगना तहसील व जिला पीलीभीत खतौनी सं01418फ से 1423फ के खता खतौनी संख्या-198 पर अंकित गाटा सं0-133 रकबा 0.551हे0	भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
9	मेरठ	तहसील सरधना के विकास खण्ड सरूरपुर के ग्राम भूनी के खसरा नं0-397 में से 1.00 एकड भूमि।	ग्राम मलियाना जनपद मेरठ गाटा 1431, रकबा 0.1770हे0, गाटा 1553, रकबा 0.2230 हे0मि0/6 रकबा 0.4000हे0	नगर निगम, नगर विकास विभाग	सिंडिकेट बैंक
10	एटा	तहसील-एटा के ग्राम सौगरा, पर0 मारहरा में गाटा सं0-507/ 0.405हे0।	ग्राम हरचन्दपुर कलॉ, जी0टी0 रोड जनपद एटा गाटा सं0 29 रकबा 0.405हे0।	ग्राम्य विकास विभाग	केनरा बैंक

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त प्रस्तर-3 के अन्तर्गत **<u>भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित</u>** जनपदों की सूची के क्रमांक-1 से 6 तक तथा **<u>संशोधन स्वरूप परिवर्तन हेतु प्रस्तावित</u>** भूमि संबंधी जनपदों की सूची के क्रमांक-01 से 08 तक की भूमि का स्वामित्व संबंधित भूमि प्रबंधक समिति, ग्राम सभा, **<u>राजस्व विभाग</u>** का है। अतएव राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-915/एक-1-2006, दिनांक-06-06-2006 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4784/2001, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-4784/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

प्रस्तर-3 के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु व्यवस्थित सूची के क्रमांक-7 एवं परिवर्तन हेतु सूची के क्रमांक-10 पर अंकित भूमि का स्वामित्व ग्राम्य विकास विभाग का है, जिसके संबंध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपनी अनापत्ति व्यक्त कर दी गयी है।

प्रस्तर-3 के अन्तर्गत भूमि परिवर्तन हेतु निर्मित सूची के क्रमांक-9 पर अंकित भूमि का स्वामित्व नगर विकास विभाग का है। नगर विकास विभाग द्वारा भूमि को नि:शुल्क/नामिनल रेन्ट पर संबंधित लीड बैंक को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भारत सरकार/राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है और उक्त भूमि जनपद/मिशन निदेशक, एसआरएलएम, उ0प्र0, ग्राम्य विकास विभाग के स्तर से संस्तुत है तथा आरसेटी के लिए उपयुक्त पायी गयी

http://shasanadesh.up.nic.in

है। अतएव प्रस्तावित भूमि को आरसेटी की स्थापना हेतु नि:शुल्क/नामिनल लीज रेन्ट पर दिये जाने का निर्णय **राज्य सरकार द्वारा** लिया गया है।

5- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) की स्थापना हेतु उपरोक्त प्रस्तर-3 में जनपदवार चिन्हित भूमि संबंधित लीड बैंक को 30 वर्ष की लीज-डीड पर रू0-100/-(रूपये-100 मात्र) वार्षिक लीज रेन्ट पर संबंधित भूमि प्रबन्धक समिति/प्रशासकीय विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। लीज की अवधि की समाप्ति पर लीज की समय वृद्धि हेतु यथासमय निर्णय लिया जाएगा। संबंधित भूमि प्रबंधक समिति/प्रशासनिक विभाग, जिनका उक्त भूमि पर स्वामित्व है, के जनपद स्तरीय अधिकारी व संबंधित लीड बैंक के मध्य एक मेमोरेन्डम आफ अण्डर स्टैन्डिंग इस आशय का निष्पादित किया जायेगा कि संबंधित लीड बैंक द्वारा लीज पर दी गयी भूमि का उपयोग केवल आरसेटी की स्थापना व संचालन हेतु किया जायेगा तथा किसी भी अन्य संस्था/व्यक्ति को हसतांतरित नहीं किया जायेगा। भूमि लीड बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द नहीं कर दिया जाता। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने की दशा में भूमि संबंधित प्रबन्धक समिति/राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग को स्वत: वापस हो जायेगी।

6- उपरोक्त प्रस्तर-5 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जनपद स्तरीय अधिकारी व संबंधित लीड बैंक के मध्य मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टैन्डिंग(एम0 ओ0यू0) के निष्पादन हेतु "एम0ओ0यू0" का प्रारूप तथा चिन्हित भूमि संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर दिये जाने से संबंधित "लीज डीड" का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार चिन्हित

http://shasanadesh.up.nic.in

भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु संबंधित लीड बैंक को प्रस्तर-5 में दी गई व्यवस्थानुसार अविलम्ब उपलब्ध कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1343(1)/38-6-14तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2-प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/नगर विकास/नियोजन विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4-मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5-संबंधित समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
6-संबंधित समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0 द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
7-प्राचार्य, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खीरी/बाँदा।
8-समस्त संबंधित लीड बैंक आफिसर द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।

http://shasanadesh.up.nic.in

9-जनरल मैनेजर/असिस्टेंट जनरल मैनेजर, केनरा बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/बैंक आफ बडौदा/इलाहाबाद बैंक/सिंडीकेट बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उ0प्र0 लखनऊ।

10-मुख्य महाप्रबन्धक एस.एल.बी.सी. गोमतीनगर, लखनऊ।

11-श्री टी0 विजय कुमार, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवां तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।

12-सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवायें विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके अर्धशा0प0सं0-3(10)/2009-सीपी, दि0-17-09-2013 के संदर्भ में।

13-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in